महत्वपूर्ण टिप्पणी

1. आवेदन पत्र दो प्रतियों में जमा होना चाहिए।
2. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिए।
3. एक से अधिक ग्रुप में पंजीकरण हेतु अलग–अलग प्रपत्रों पर आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए।
4. आवेदन पत्र के साथ अन्तिम वर्ष के आयकर क्लियरैन्स प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। बिना आयकर क्लियरैन्स प्रमाण पत्र दिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
5. जो अंश लागू न हो काट दिया जाए।

शपथ पत्र

सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाय

मै...पुत्र श्री .... निवासी (स्थायी पता)...(अस्थाई पता)................................. .... का निवासी हूं। मै शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूंः–

1. मै यूपीआरएनएसएस का एए/ए/बी/सी/डी श्रेणी का पंजीकृत ठेकेदार हूं/नहीं हूं। (विभाग द्वारा निर्गत श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय) मेरे पास पर्याप्त चल और अचल सम्पत्ति है और व्यवसायिक रूप से मै यूपीआरएनएसएस के कार्यो को पूरा करने के लिए सक्षम और समथ हूं। मेरे पास आवश्यक मशीने और उपकरण आदि भी है तथा मुझे इस कार्य का पर्याप्त अनुभव है।
2. यू.पी.आर.एन.एस.एस. द्वारा जो (कार्य का विवरण लिखा जाय).........................कराने की निविदा निर्गत की गई है अथवा निर्गत की जाएगी, उसके लिए मै विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निविदा भर रहा हूं।

   अथवा पंजीकरण आवेदन होने की दशा में "लागू नहीं" लिखें।
3. मेरे द्वारा दिये जा रहे प्रमाण पत्रः चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र/आयकर प्रमाण पत्र/व्यापार कर प्रमाण पत्र/बीड सेक्योरिटी प्रमाण पत्र/बीड कैपिसिटी प्रमाण पत्र/जमानत धनराशि आदि का प्रमाण पत्र तथा अन्य सुसंगत अभिलेख आदि मूलरूप में निविदा पत्र/पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये है।

   अथवा पंजीकरण हेतु मांगे गये प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न कर दिये गये है।
4. मेरा पैन नं0..............................है। (आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)।
5. मेरे विरूद्ध अपराधिक मुकदमों का विवरण निम्न प्रकार है। यहां पूरा विवरण दिया जायेः–
   1. मुकदमा नम्बर...............................
   2. धारायें...
   3. थाना..
   4. जनपद...
   5. न्यायालय(जहां मुकदमा चल रहा है)..
6. मै लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार की श्रेणी में नहीं आता हूं। मै अपराधिक गतिविधियों, माफिया तथा गैंगेस्टर गतिविधियों और संगठित अपराध करने की गतिविधियों और असामाजिक कार्यो आदि में लिप्त नहीं हूं। मै माफिया और अपराधी नहीं हूं। मेरा चाल–चलन, कार्य तथा आचरण उत्तम है।
7. मेरे विरूद्ध जनपद में तथा प्रदेश में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है।
8. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात् मेरे विरुद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी

जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरा ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर दे। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरूद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज कराये।

9. मै अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार समय से पूरी गुणवत्ता के साथ तथा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूरा करूंगा और विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करूंगा।

10. मेरा कार्य एवं आचरण उत्तम है।

11. मै शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरा स्थाई पता और अस्थाई पता निम्न प्रकार है:–

(अ) स्थायी पता (दूरभाष सहित).....

(ब) अस्थायी पता (दूरभाष सहित).....

(यहां पूरा पता दूरभाष सहित एवं पिनकोड सहित लिखा जाय)

12. मै शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मै उपरोक्त पते पर रहता हूं तथा विभाग द्वारा प्रदान किये गये कार्य के पूरा होने तक मेरे किसी पते में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना मै तत्काल प्रखण्ड प्रभारी/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर को दूंगा।

13. मै यह भी घोषणा करता हूं कि विभाग के जिस कार्य के लिए मेरे द्वारा ठेका लिया जा रहा है उसके सापेक्ष चल एवं अचल सम्पत्ति का हैसियत प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/राष्ट्रीयकृत बैंक (जनपद का नाम लिखा जाय).....द्वारा प्राप्त करके मूलरूप से संलग्न किया जा रहा है। यह भी घोषणा करता हूं कि इस हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा अथवा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न है।

    अथवा पंजीकरण हेतु मांगे गये हैसियत प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। इसका उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं होगा।

14. मै अपनी पूर्ण जानकारी में पूरे होशो–हवाश में, स्वस्थचित्त से, पूरी सत्यनिष्ठा से तथा स्वेच्छा से यह शपथ पत्र लिखकर दे रहा हूं। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक

शपथी का पूरा हस्ताक्षर

पूरा नाम–

पता–

नोटः–

1. यह स्वघोषणा शपथ–पत्र रू0 100/– (रू0 एक सौ) के Stamp Paper पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा।
2. असत्य शपथ–पत्र देना एवं संगीन और संज्ञेय अपराध है।
3. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, शपथ पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।

परिशिष्ट–च

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट.....

चरित्र प्रमाण–पत्र

फोटो

1– आवेदक का नाम श्री/श्रीमती.....

2– पिता/पति का नाम श्री.....

3– आयु.....

4– शैक्षिक योग्यता.....

5– व्यवसाय.....

6– पता–(अ) स्थायी पता दूरभाष सहित.....

(ब) अस्थायी पता दूरभाष सहित.....

7– अपराधिक मुकदमों का विवरण.....

(व्यक्ति के विरूद्ध जनपद में दर्ज मुकदमों, अपराधिक गतिविधियों और आसमाजिक कार्यों का विवरण दिया जाय। यदि किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसका विवरण भी दिया जाय। यदि सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों/निगमों द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो तो उसका विवरण भी दिया जाय। माफिया/गैंगेस्टर गतिविधियों एवं संगठित अपराधों के लिप्त व्यक्तियों के बारे में विषेष रूप से जाँच करने के बाद ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय और इसका उल्लेख इस कालम में अवष्य किया जाय।)

8– सामान्य ख्याति.....

9– प्रमाण–पत्रः–

मेरे द्वारा श्री.....के कार्य और आचरण तथा चरित्र के सम्बन्ध में पूरी तथ्यात्मक जानकारी कर ली गयी है। इनके विरूद्ध अपराधिक मुकदमों की सूचना भी पुलिस से प्राप्त की गयी है। सभी तथ्यों की जानकारी के पष्चात् मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री.....का कार्य और आचरण तथा चरित्र उत्तम है, और इनके सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग/निगमों में ठेकेदार का कार्य करने पर सामान्यतः आपत्ति प्रतीत नही होती है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर
(मुहर सहित)

नोटः–

1–जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा यह प्रमाण–पत्र अपने स्वंय के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र निर्गत नही किया जायेगा।

2–प्रमाण–पत्र देने के पूर्व वह आवष्यकतानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/तहसीलदार/एस0डी0एम0/अपर जिलाधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से जाँच कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

3–सम्बन्धित व्यक्ति से स्वघोषणा शपथ–पत्र भी ले सकते हैं।

4–यह प्रमाण–पत्र सामान्यतः दो वर्ष के लिये मान्य होगा। यदि इससे पूर्व कोई अपराधिक घटना होती है अथवा प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा आदि दर्ज होता है या वह किसी संगठित अपराध में या माफिया गतिविधियों में या आसामजिक गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो पुलिस विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्ट्रेट तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण–पत्र तत्काल निरस्त किया जायेगा।

5–इन प्रमाण पत्रों की प्रविष्ट जिलाधिकारी कार्यालय में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विधिवत अंकित की जायेगी और निर्गत प्रमाण–पत्र की एक प्रमाणित फोटो प्रति रजिस्टर में अवष्य रखी जायेगी।

6–इस प्रमाण–पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा।

7–निर्गत प्रमाण–पत्र की एक कार्यालय प्रति(Office Copy) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अवष्य रखी जायेगी और एक अलग रजिस्टर में प्रविष्टि अंकित की जायेगी जिससे रिकार्ड रहे।

8–सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, चरित्र प्रमाण–पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।

परिशिष्ट–छ

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट.....

हैसियत प्रमाण–पत्र

फोटो

1– प्रार्थी का नाम (व्यक्ति/फर्म/संस्था का नाम).....

2– पिता/पति का नाम श्री.....

3– निवास स्थान.....

(अ) पूरा स्थायी पता दूरभाष सहित.....

(ब) अस्थायी पता दूरभाष सहित.....

4– व्यवसाय.....

5– सम्पत्ति का विवरणः– जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के द्वारा चल/अचल सम्पत्ति/हैसियत के सम्बन्ध में पूरा विवरण निम्न प्रकार से दिया जाय।

(अ) अचल सम्पत्ति– जमीन/भूखण्ड/मकान/दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/उद्योग धन्धे आदि का पूरा विवरण। यह सम्पत्ति ठेकेदार के नाम अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय। सम्पत्ति का मूल्यांकन/बाजार मूल्य तथा सम्पत्ति बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था में मार्गेज हो तो उसका विवरण भी दिया जाय।

(ब) चल सम्पत्ति– मोटर वाहन/निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मषीनों तथा अन्य चल सम्पत्ति का पूरा विवरण दिया जाय यह सम्पत्ति ठेकेदार के नाम अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय। सम्पत्ति का मूल्यांकन/बाजार मूल्य कितना है। यह सम्पत्ति बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था में मार्गेज हो तो उसका विवरण भी दिया जाय।

6– बैंक अथवा वित्तीय संस्था में कोई धनराषि हो तो इसके लिये बैंक का नाम/खाता संख्या एवं उसमें रखी धनराशि का विवरण दिया जाय। इसके लिये बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

7– हैसियत प्रमाण–पत्र के लिये हैसियत के रूप में यदि बैंक में जमा धनराशि दर्शायी जाती है तो वह धनराशि कम से कम तीन माह पहले से बैंक में जमा होनी चाहिये और कार्य पूरा होने तक बैंक में अवश्य जमा रहनी चाहिये।

8– प्रार्थी का पैन नम्बर.....है।

मेरे द्वारा श्री(यहाँ व्यक्ति/फर्मसंस्था आदि कनाम लिखा जाय).....की चल और अचल सम्पत्ति के बारे में तथ्यों की जानकारी कर ली गयी है और उसका विवरण उपरोक्तानुसार दिया गया है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी जानकारी में उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं और तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर
(मुहर सहित)

नोटः–

1–जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा यह प्रमाण–पत्र अपने स्वंय के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र निर्गत नही किया जायेगा।

2–प्रमाण–पत्र देने के पूर्व वह आवष्यकतानुसार तहसीलदार/ /एस0डी0एम0/अपर जिलाधिकारी/बैंक अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से जाँच कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

3–सम्बन्धित व्यक्ति से स्वघोषणा शपथ–पत्र भी ले सकते हैं।

4–यह प्रमाण–पत्र सामान्यतः दो वर्ष के लिये मान्य होगा। यदि इससे पूर्व कोई महत्वपूर्ण विक्रय आदि होता है या कमी आती है तो सम्बन्धित व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्ट्रेट तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण–पत्र संषोधन जारी किया जायेगा।

5–इन प्रमाण पत्रों की प्रविष्ट जिलाधिकारी कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विधिवत अंकित की जायेगी और निर्गत प्रमाण–पत्र की एक प्रमाणित फोटो प्रति रजिस्टर में अवष्य रखी जायेगी।

6–इस प्रमाण–पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा।

7–सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, हैसियत प्रमाण–पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।